न्यायालय अपर जिला जज, कोर्ट संख्या–13, मुरादाबाद।

सिविल अपील संख्या–88/2005

अताउर रहमान बनाम श्रीमती शफीउल निशा

31.10.2014

पत्रावली प्रस्तुत हुई। उभयपक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये।

प्रार्थनापत्र 251ख मय शपथपत्र अपीलार्थी की ओर से आदेश दिनांकित 23.08.2014 को रिकॉल किये जाने हेतु इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि, न्यायालय द्वारा दिनांक 23.08.2014 को जरीफ के लिए वारण्ट पैरवी हेतु निर्देशित किया गया था। प्रार्थी के परिवार में शोक होने की वजह से प्रार्थी वारण्ट हेतु पैरवी नहीं कर सका था तथा प्रार्थी हार्ड पेशेन्ट है और इलाज के लिए प्रार्थी को बाहर जाना पड़ता है। प्रार्थी को ज्ञात हुआ है कि उक्त अपील में श्रीमान्जी द्वारा जरीफ को बजरिये वारण्ट तलब किये जाने का आदेश समाप्त कर दिया है तथा पत्रावली बहस हेतु नियत कर दी है। उपरोक्त अपील के अन्तर्गत काल में उपरोक्त जरीफ से सम्बन्धित मूल दस्तावेज तलब किये जाने अत्यन्त आवश्यक हैं अन्यथा प्रार्थी की अपूर्णनीय क्षति होगी तथा अपील का सुचारू रूप से निस्तारण नही हो सकेगा।

प्रत्यर्थी संख्या–1/1 लगायत 1/3 की ओर से आपत्ति 253ग प्रस्तुत की गयी, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि, प्रार्थनापत्र नियम व तथ्यों के विरूद्ध है। मूलवाद 1021/96 वर्ष 1996 से लम्बित था, जिसमें 9 वर्ष का समय अपीलार्थी ने व्यतीत कर दिया, अन्ततः 03.09.2005 को अपीलार्थीगण का यह वाद सव्यय खण्डित हुआ तथा अब 9 वर्ष का समय अपीलार्थी ने इस अपील में विभिन्न विधियों से व्यतीत कर लिया और अभी तक अपील की गुणदोष पर बहस हेतु तत्पर नहीं है। अपीलार्थीगण बार–बार न्यायालय के आदेशों के उपरान्त भी इस मामले के निस्तारण में सहयोग नहीं कर रहे हैं। प्रार्थनापत्र में कोई उचित कारण दिनांक 23.08.2014 से अब तक कथित साक्षी के वारण्ट जारी कराने हेतु पैरवी न करने का प्रकट नहीं किया गया है। प्रार्थी के परिवार में कोई शोक नहीं हुआ था और न ही यह उल्लिखित किया गया है कि किस परिवारजन की मृत्यु हुई। इस अपील में दो अपीलार्थी हैं, जिनमें अपीलार्थी संख्या–1 को हृदय रोगी कह देने से उन्हें कोई लाभ नहीं मिल सकता। यह भी उल्लिखित नहीं किया गया है कि अपीलार्थी संख्या–1 बाहर किस स्थान पर चिकित्सा करा रहा है और वह दिनांक 23.08.14 के बाद कब, कहां अपनी जांच कराने गया। प्रार्थनापत्र में यह भी उल्लिखित नहीं है कि अपीलार्थीगण किस तिथि का आदेश अपास्त कराना चाहते हैं।

मेरे द्वारा पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया तथा

पत्रावली का अवलोकन किया गया।

यह सही है कि अपीलार्थी के द्वारा अपने आवेदन मय शपथपत्र में यह अंकित नहीं किया गया है कि उसके परिवार में किसका शोक होने के कारण वह इस मुकदमे की पैरवी नहीं कर सका तथा हार्ट पेशेन्ट होने के कारण इलाज के लिए वह कहां गया था, जिस कारण से उसकी ओर से प्रस्तुत वाद में पैरवी नहीं का जा सकी। किन्तु अपील का निस्तारण गुणदोष पर हो, इसके लिए आवश्यक है कि अपीलार्थी को पूर्व आदेशानुसार पैरवी करने के लिए एक अवसर दिया जाना उचित समझती हूँ। अतः न्यायहित में अपीलार्थी का आवेदन हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अपीलार्थी आवेदन 251ख अंकन 200/—रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। अपीलार्थी आदेश दिनांकित 23.08.2014 का अनुपालन दो दिवस में करें। तत्पश्चात् मुकदमा दिनांक 17.11.2014 को वास्ते अग्रिम आदेश पेश हो।

अपर जिला जज,
कोर्ट सं0—13, मुरादाबाद।
31.10.2014